न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 25/2018
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–वादी/प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र श्योनाथ
2. सीताराम पुत्र नाथू
3. शंकर पुत्र नाधू
4. राधेश्याम पुत्र नानगा
5. लालाराम पुत्र नानगा
6. गिरधारी पुत्र नानगा
7. नारायण देवी पत्नी नानगा
8. लाडा देवी पत्नी नाथूराम उर्फ नानूराम

समस्त जाति अहीर निवासी डूंगरसी का बास तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण/अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 27/05/2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) सरकार पैरोकार प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता मदन लाल कुडी अप्रार्थीगण की ओर से।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट इन्द्राज दुरूस्ती

इस न्यायालय में अपील संख्या 65/2015 उनवान रामचन्द्र बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 11–04–2016 की पालना में प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंकित किया गया है कि राजस्व ग्राम डूंगरसी का बास तहसील फुलेरा हाल तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर की भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) संवत् 2008 से 2029 की क्रम संख्या 69 खाता नम्बर 70 के अनुसार खसरा नम्बर 115 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा भूमि में कॉलम नम्बर 3 में नाम भोक्ता माफी मंदिर श्री रुगनाथ जी व अहतमाम पुजारी हनुमानबक्स पुत्र सेडूराम जाति ब्राह्मण सा. देह दर्ज था एवं कॉलम नम्बर 4 नाम उपभोक्ता में मातमीदार हिस्सा 1/4 व झूंथालाल पुत्र सेडूराम हिस्सा 1/4 व कन्हैयालाल पि.मु. बोदूराम हिस्सा 1/2 अकवाम ब्राह्मण सा.देह दर्ज था एवं कॉलम नम्बर 5 नाम कृषक में खुदकाश्त उपभोक्ता दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी बनाते समय उक्त खसरा नम्बर 115 में माफी मंदिर का हिस्सा 1/4 विलोपित कर दिया गया और सम्पूर्ण खातेदारी प्रतीवादीगणों एवं उनके पूर्वजों के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मंदिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। चूंकि मूर्ति मंदिर सतत् अवयस्क है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम डूंगरसी का बास के खसरा नम्बर 115 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा का 1/4 हिस्सा पुनः माफी मंदिर रूगनाथ जी सा. देह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जावे।

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मदन लाल कुडी ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्ता ने जवाब पेश ना करते हुए बहस करने का निवेदन किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राजस्व ग्राम डूंगरसी का बास की सेटलमेन्ट की खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2008 से 2029 में खसरा नम्बर 115 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा भूमि में कॉलम नम्बर 3 में नाम भोक्ता माफी मंदिर श्री रुगनाथ जी व अहतमाम पुजारी हनुमानबक्स पुत्र सेडूराम जाति ब्राह्मण सा. देह दर्ज था एवं कॉलम नम्बर 4 नाम उपभोक्ता में मातमीदार हिस्सा 1/4 व झूंथालाल पुत्र सेडूराम हिस्सा 1/4 व कन्हैयालाल पि.मु. बोदूराम हिस्सा 1/2 अकवाम ब्राह्मण सा.देह दर्ज था एवं कॉलम नम्बर 5 नाम कृषक में खुदकाश्त उपभोक्ता दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी बनाते समय खसरा नम्बर 115 में माफी मंदिर का हिस्सा 1/4 विलोपित कर दिया गया और सम्पूर्ण खातेदारी प्रतीवादीगणों एवं उनके पूर्वजों के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मूर्ति मंदिर सतत् अवयस्क है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को माफी मंदिर की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर विवादग्रस्त भूमि ग्राम डूंगरसी का बास के खसरा नम्बर 115 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा का 1/4 हिस्सा पुनः माफी मंदिर रुगनाथ जी सा. देह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जावे।

अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजीयात का सबंध किसी भी प्रकार से माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी का नहीं रहा। बल्कि उपरोक्त आराजी संवत 2008 से 2029 में कालम सख्या 4 में उपभोक्ता के रूप में झूंथालाल व हनुमान बक्श पुत्र सेड्राम, कन्हैया लाल पुत्र बोदूराम अंकित था तथा कॉलम सख्या 5 में उक्त भूमि खुदकाश्त के रूप में अंकित चली आ रही थी। उपरोक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने हस्तगत पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2008 से 2029 ग्राम डूंगरसी का बास तहसील फुलेरा जिला जयपुर के खाता नं० 115 के कॉलम संख्या 3 में माफी मंदिर श्री रूगनाथ जी व पुजारी हनुमान बक्श पुत्र सेडुराम जाति ब्राह्मण सा० देह व कॉलम संख्या 4 में मातमीदार हि0 1/4 व झुंथालाल पुत्र सेडुराम हि0 1/4 व कन्हैयालाल पि0 मु0 बोदुराम हि0 1/2 अकवाम ब्रा. सा. देह तथा कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त उपभोक्ता अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि खसरा नंबर 115 ग्राम डूंगरसी का बास का 1/4 हिस्सा मन्दिर श्री रूगनाथ जी के जरिये मातमीदार खुदकाश्त था। न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 11/4/2016 के बिन्दु संख्या 9 में भी अंकित है "इस तरह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में विवादित भूमि संवत 2008 से 2029 की खतौनी बंदोबस्त के अनुसार 1/4 हिस्सा ही माफी मन्दिर रुगनाथ जी की खुदकाश्त की थी।" न्यायालय ने तत्समय अपने निर्णय में तहसीलदार को 1/4 हिस्सा का रेफरेन्स प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स व संलग्न दस्तावेजात से खसरा नम्बर 115 ग्राम डूंगरसी का बास के 1/4 हिस्से हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स साबित होने पर स्वीकार किया जाता है ।

तदानुसार पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में भिजवाई जावे। एक प्रति तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर